



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06062026-273227
CG-MH-E-06062026-273227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2734]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 2734]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 26 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ. 2828(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 04 जुलाई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 3010 (E) तारीख 04 जुलाई 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजन (131 किलोमीटर)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पंधाना खंडवा जिले दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् “दैनिक भास्कर” और “दैनिक पत्रिका” में तारीख 09-07-2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों कि सुनवाई कि गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20ड के अनुसार मे आदेश पारित कर दिये गए है।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के अंतर्गत 6 गाँव का विशेष रेल परियोजना “भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन परियोजना (131 किलोमीटर)” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	तहसील	7/12 अनुसार भू-धारक का नाम	सर्वे न.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे.आर.)
1	01/अ - 82(NH)/ 2025-26	टाकलीकला	पंधाना	संतोषबाई पति भगवान	519	1.62	0.074
				कुल		1.62 (हे.आर.)	0.074 (हे.आर.)
1	02/अ-82 (NH)/ 2025-26	सारोला	पंधाना	पन्नलाल पिता लिमडा	36	0.87	0.0658
2				मुकेश पिता बाबूलाल	37	0.28	0.0447
3				पार्वतीबाई पति शिवलाल	38	0.55	0.0256
4				प्रभु पिता मंशाराम	39/1	0.23	0.0224
5				पार्वतीबाई पति शिवलाल	39/2	0.22	0.0161
6				शिवलाल पिता मंशाराम	57	0.69	0.0888
7				गंगाबाई बेवा शिवराम वगैरह	354	0.44	0.2800
8				मुबिना बेगम पति शेख	355/2	1.67	0.1940
9				दिनेश प्रसाद पुत्र देवीप्रसाद	356	2.66	0.2940
10				शेरई बेवा सुखराम वगैरह	357	1.43	0.0725
11				निर्मलाबाई बेवा दगडू वगैरह	414	0.61	0.2360
12				अमरोतीबाई बेवा रामलाल वगैरह	453	0.71	0.1390
13				सिद्धनाथ पिता देवराम	454	2.01	0.2010

क्र. सं.	प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	तहसील	7/12 अनुसार भू-धारक का नाम	सर्वे न.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे.आर.)
14				सीताराम पिता माँगीलाल	450/1	0.39	0.0962
15				राधेश्याम पिता माँगीलाल	450/2	0.39	0.1030
				कुल		13.15 (हे.आर.)	1.8791 (हे.आर.)
1	03/अ-82 (NH)/ 2025-26	बोरगाँव बुजुर्ग	पंधाना	मधुकर सौपान ब्रजलाल श्यामराव वगैरह	520	1.87	1.4500
2				सदाशिव दगडू वगैरह	522	2.80	1.5250
3				मीरा पति राजेन्द्र वगैरह	523	2.32	0.8710
4				अम्बालाल पिता भगवान	524	2.10	0.5110
5				नत्थीबाई पति रेमसिंग	525/1	0.94	0.2410
6				पारुबाई प्रेमसिंग	525/2	0.94	0.1220
7				रामचंद पिता देवकरण	526/1	0.10	0.0160
8				छोटीबाई पति दगडुलाल वगैरह	526/2	3.92	0.6770
9				रोहित पिता मुरार वगैरह	528	3.17	0.5950
10				अजय पिता किशोर वगैरह	529	1.25	0.2990
11				सोनिबाई बेवा लघु वगैरह	530	1.62	0.3360
12				मनिषा पति राजकुमार	531	0.75	0.1670
13				लालसिंग पिता कालू वगैरह	532	1.15	0.3000
14				सोनिबाई बेवा लघु वगैरह	533	0.42	0.1100
				कुल		23.35 (हे.आर.)	7.2200 (हे.आर.)
1	04/अ-82 (NH)/ 2025-26	बगमार	पंधाना	जयराम पिता माँगीलाल वगैरह	559/2	0.24	0.0210
2				जयराम पिता माँगीलाल	560/1	0.49	0.0981
3				इंदर पिता माँगीलाल	560/2	0.77	0.0150
4				देवराम पिता माँगीलाल	561/2	1.14	0.0059
5				श्रीराम पिता बाबूलाल वगैरह	667	0.26	0.089
6				रामलाल पिता रूखडू वगैरह	670	0.78	0.0198
7				मीराबाई पति रमेश	673/1	1.40	0.0210
8				सुखदेव पिता माँगीलाल	674	0.80	0.0790
9				पंढरी उर्फ नत्थू दयाराम वगैरह	675/2	0.61	0.0012
10				शिवराम पिता राजाराम वगैरह	675/3	0.61	0.0057
11				गुलाबबाई पिता मोतीराम	677/2	0.80	0.0290
				कुल		7.90 (हे.आर.)	0.3847 (हे.आर.)
1	05/अ-82 (NH)/ 2025-26	डोंगरगाँव	पंधाना	कन्हैया पिता बुद्ध वगैरह	215	1.01	0.7990
2				लालसिंग पिता सुरता	216/1	1.27	0.9060
3				लालसिंग पिता सुरता	216/2	1.26	0.7170
4				आशीष पिता रमेशप्रसाद	218	1.47	1.1720

क्र. सं.	प्रकरण क्रमांक	गांव का नाम	तहसील	7/12 अनुसार भू-धारक का नाम	सर्वे न.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे.आर.)
5				पवन पिता कैलास	179/1	1.25	0.8650
				कुल		6.26 (हे.आर.)	4.4590 (हे.आर.)
1	06/अ-82	राजोरा	पंधाना	सुनीताबाई बेवा अम्बालाल वगैरह	137/1	1.20	0.2320
2	(NH)/ 2025-26			प्रेमलाल पिता दगडु	137/2	1.66	0.1590
				कुल		2.86 (हे.आर.)	0.3910 (हे.आर.)
				कुल योग		55.14 (हे.आर.)	14.4078 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/BSL-KNW 3rd & 4th/Sarola+5 Vlg/20E]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th May, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2828(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 3010 (E) dated 4th July 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 4th July 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Bhusawal-Khandwa 3rd & 4th line Project (131 Kms)**” in the district of **Khandwa** in the State of Madhya Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in for Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Pandhana in daily newspapers namely “**Dainik Bhaskar**” & “**Dainik Patrika**” dated 09-07-2025 respectively under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, objections were received. Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of Section D of the said act.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project of “Bhusawal-Khandwa 3rd & 4th line Project (131 Kms)” for 6 villages in the District Khandwa in the State of Madhya Pradesh.

S.N.	Proposal No.	Village Name	Tehsil	Name of Land Owners according to 7/12 extracts	Survey No.	Area according to 7/12 Extracts (Ha.)	Acquired Area (Ha.)
1	01/अ-82(NH)/2025-26	Takalikala	Pandhana	Santoshbai Pati Bhagwan	519	1.62	0.074
				Total		1.62 (Ha.)	0.074 (Ha.)
1	02/अ-82(NH)/2025-26	Sarola	Pandhana	Pannalal Pita Limda	36	0.87	0.0658
2				Mukesh Pita Babulal	37	0.28	0.0447
3				Parvatibai Pati Shivilal	38	0.55	0.0256
4				Prabhu Pita Mansharam	39/1	0.23	0.0224
5				Parvatibai Pati Shivilal	39/2	0.22	0.0161
6				Shivilal Pita Mansharam	57	0.69	0.0888
7				Gangabai Bewa Shivrām Vagīrah	354	0.44	0.2800
8				Muniba Begam Pati Shaikh	355/2	1.67	0.1940
9				Dinesh Prasad Putra Deviprasad	356	2.66	0.2940
10				Sherai Bewa Sukhram Vagīrah	357	1.43	0.0725
11				Nirmalabai Bewa Dagadu Vagīrah	414	0.61	0.2360
12				Amrotibai Bewa Ramlal Vagīrah	453	0.71	0.1390
13				Siddhanath Pita Devram	454	2.01	0.2010
14				Sitaram Pita Mangilal	450/1	0.39	0.0962
15				Radheshyam Pita Mangilal	450/2	0.39	0.1030
				Total		13.15 (Ha.)	1.8791 (Ha.)
1	03/अ-82(NH)/2025-26	Borgaon Buzurg	Pandhana	Madhukar Sopan Brajlal Shyamrao Vagīrah	520	1.87	1.4500
2				Sadashiv Dagadu Vagīrah	522	2.80	1.5250
3				Mira Pati Rajendra Vagīrah	523	2.32	0.8710
4				Ambalal Pita Bhagwan	524	2.10	0.5110
5				Natthibai Pati Remsingh	525/1	0.94	0.2410
6				Parubai Premsingh	525/2	0.94	0.1220
7				Ramchand Pita Devkaran	526/1	0.10	0.0160
8				Chotibai Patni Dagadu Vagīrah	526/2	3.92	0.6770
9				Rohit Pita Murar Vagīrah	528	3.17	0.5950
10				Ajay Pita Kishor Vagīrah	529	1.25	0.2990
11				Sonibai Bewa Lacchu Vagīrah	530	1.62	0.3360
12				Manisha Pati Rajkumar	531	0.75	0.1670
13				Lalsingh Pita Kalu Vagīrah	532	1.15	0.3000
14				Sonibai Bewa Lacchu Vagīrah	533	0.42	0.1100
				Total		23.35 (Ha.)	7.2200 (Ha.)
1	04/अ-82(NH)/2025-26	Bagmar	Pandhana	Jairam Pita Mangilal Vagīrah	559/2	0.24	0.0210
2				Jairam Pita Mangilal	560/1	0.49	0.0981
3				Inder Pita Mangilal	560/2	0.77	0.0150
4				Devram Pita Mangilal	561/2	1.14	0.0059
5				Shriram Pita Babulal Vagīrah	667	0.26	0.089
6				Ramlal Pita Rukhadu Vagīrah	670	0.78	0.0198
7				Mirabai Pati Ramesh	673/1	1.40	0.0210

S.N.	Proposal No.	Village Name	Tehsil	Name of Land Owners according to 7/12 extracts	Survey No.	Area according to 7/12 Extracts (Ha.)	Acquired Area (Ha.)
8				Sukhdeo Pita Mangilal	674	0.80	0.0790
9				Pandhari Urff Natthu Dayaram Vagirah	675/2	0.61	0.0012
10				Shivram Pita Rajaram Vagirah	675/3	0.61	0.0057
11				Gulabbai Pita Motiram	677/2	0.80	0.0290
				Total		7.90 (Ha.)	0.3847 (Ha.)
1	05/31-82 (NH)/ 2025-26	Dongargaon	Pandhana	Kanniya Pita Buddh Vagirah	215	1.01	0.7990
2				Lalsingh Pita Surata	216/1	1.27	0.9060
3				Lalsingh Pita Surata	216/2	1.26	0.7170
4				Ashish Pita Rameshprasad	218	1.47	1.1720
5				Pawan Pita Kailash	179/1	1.25	0.8650
				Total		6.26 (Ha.)	4.4590 (Ha.)
1	06/31-82 (NH)/ 2025-26	Rajora	Pandhana	Sunitabai Bewa Ambalal Vagirah	137/1	1.20	0.2320
2				Premlal Pita Dagadu	137/2	1.66	0.1590
				Total		2.86 (Ha.)	0.3910 (Ha.)
				Grand Total		55.14 (Ha.)	14.4078 (Ha.)

[F. No. G197/BSL-KNW 3rd & 4th/Sarola+5 Vlg/20E]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)